भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3349

(दिनांक 12.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

पत्रकारों पर हमले

3349. डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं/कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ''रिपोर्टर्स विदआउट बार्डर'' द्वारा संकलित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडैक्स, 2019 में भारत दो पायदान नीचे गिरकर 140 पर आ गया है;

(घ) क्या पत्रकारों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं के अध्ययन हेतु भारतीय प्रेस परिषद ने किसी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के निष्कर्ष/ सिफारिशें क्या रहीं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या पत्रकार/मीडिया कर्मियों के कल्याण हेतु सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने पत्रकारों सहित अन्य व्यावसायिकों की पृथक श्रेणियों के संबंध में उन पर हुए हमलों से संबंधित आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया है। तथापि, पत्रकारों पर हमले के संबंध में भारतीय अपराध संहिता की धारा 325, 326, 326क एवं 326ख के अंतर्गत पंजीकृत मामलों के लिए संग्रहित मासिक सूचना के अनुसार वर्ष 2014-16 तक की अवधि के लिए राज्य-वार सूचना **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने की अपनी नीति के अनुसरण में सरकार समाचार उद्योग के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रतिष्ठापित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भारत में प्रेस में कोई पूर्व-सेंसरशिप नहीं है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने तथा समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने तथा उनमें सुधार लाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) नामक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना की गई है। सरकार पत्रकारों सहित देश के प्रत्येक नागरिक के बचाव और सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची (सूची II) के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने, उसका पंजीकरण करने तथा उसकी जांच करने और विधि प्रवर्तन ऐजेंसियों के जरिए अपराधियों को दंडित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। गृह मंत्रालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्रों को सलाह-पत्र जारी किए हैं जो उसकी वेबसाइट अर्थात **mha.gov.in** पर उपलब्ध हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के संबंध में दिनांक 20 अक्टूबर, 2017 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक सलाह-पत्र जारी किया गया था।

(ग): सरकार को 'रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स' द्वारा किए गए 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019' सर्वेक्षण के परिणामों के संबंध में आई मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है। तथापि, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने रिपोर्टों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता तथा देश को रैंक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति और जिस आधार पर रैंकिग की गई है, पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

(घ): भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारों की सुरक्षा के मामले की जांच करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है। उप-समिति द्वारा दिनांक 23.07.2015 को प्रस्तुत रिपोर्ट में पत्रकारों की सुरक्षा और बचाव के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। गृह मंत्रालय ने उक्त रिपोर्ट की जांच की है और यह समझाया है कि मौजूदा कानून पत्रकारों सहित नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं।

(ङ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार की मृत्यु और स्थायी विकलांगता, प्रमुख सूचीबद्ध बीमारियों तथा दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर चोटों से अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारी मुसीबत में पड़े पत्रकारों अथवा उनके परिवारों को तत्काल आधार पर एक मुश्त अनुग्रह राहत प्रदान करने के लिए 'पत्रकार कल्याण स्कीम' लागू की है।

अनुलग्नक

'पत्रकारों पर हमले' के संबंध में दिनांक 22.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3349 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014-16 के दौरान मीडिया कार्मिकों पर हमले के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत (सीआर) मामलों (आईपीसी की धारा 325, 326, 326क एवं 326ख के अंतर्गत) का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016
		सीआर	सीआर	सीआर
1	आंध्र प्रदेश	4	1	6
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	2	0	2
4	बिहार	22	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	1	0
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	3	0	1
8	हरियाणा	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11	झारखण्ड	3	0	0
12	कर्नाटक	0	0	2
13	केरल	0	0	1
14	मध्य प्रदेश	7	19	24
15	महाराष्ट्र	5	1	0
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	1	0	0
18	मिजोरम	0	0	0
19	नागालैण्ड	0	0	0
20	ओड़िशा	1	0	0
21	पंजाब	0	0	0
22	राजस्थान	0	5	0
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0
25	तेलंगाना	0	0	0
26	त्रिपुरा	2	0	5
27	उत्तर प्रदेश	63	1	3
28	उत्तराखंड़	1	0	3
29	पश्चिम बंगाल	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल (राज्य)	**114**	**28**	**47**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
31	चंड़ीगढ़	0	0	0
32	दादर और नागर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	एनआर
34	दिल्ली	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**0**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**114**	**28**	**47**
स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो				
एनआर: इसका आशय आंकड़े प्राप्त नहीं होने से है।				